Title: Need to accord sanction to the drinking water proposal of Government of Maharashtra under Accelerated Water Supply Programme.

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ऐक्सीलिरेटिड वाटर सप्लाई कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को पेयजल योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है। महाराट्र सरकार ने 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 40 शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाएं सन् 1995 में केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी थीं। पिछले सात सालों में इनमें से अब तक केवल 20 योजनाएं ही स्वीकृत हुई हैं जिन पर काम चालू है। जबकि शेा 20 शहरों की योजनाएं अभी तक केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। इसका मुख्य कारण है कि इन शहरों की जनसंख्या 20 हजार से ज्यादा हो गई है।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐक्सीलिरेटिड वाटर सप्लाई के तहत योजना हेतु जनसंख्या का मानदंड बढ़ाकर कम से कम 40 हजार कर दे तथा महाराट्र सरकार द्वारा भेजी गई शेा 20 पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करे, ताकि इन योजनाओं पर समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार काम शुरू किया जा सके।